


2/5/11

2/5/11

पत्र संख्या -3/एम० 45 /2011.....1605/



बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

2

R.R.No - 376  
2-6

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव  
सभी विभागाध्यक्ष  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त  
सभी जिला पदाधिकारी

S.P.  
H.I.  
31/03/2011  
विषय-  
महाशय,

पटना, दिनांक 24 मई, 2011

विषय- सरकारी सेवकों की प्रोन्नतियों पर विचार करते समय विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियों का वर्गीकरण (बेंच मार्क) के अनुसार विचारण।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक -3/एम०-45/2011सा०-922 दिनांक 30 मार्च, 2011 के क्रम में स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त परिपत्र तुरत के प्रभाव से, अर्थात् 30 मार्च, 2011 से, प्रभावी है। पुराने मामलों, जिनमें कनीय को प्रोन्नति पुरानी पद्धति से ही दी गयी है, उन पर यह लागू नहीं होगा।

साथ ही, उक्त परिपत्र की कंडिका -3(3) को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि 'प्रोन्नति के योग्य' अभ्युक्तियों को 'बहुत अच्छा' वर्ग में माना जायेगा।

विश्वासभाजन  
(सरयुग प्रसाद)  
सरकार के संयुक्त सचिव।